

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 529 OF 2023

IN THE MATTER OF:

DR. SHARAD GUPTA

.....APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS

.....RESPONDENT(S)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, WILDLIFE WESTERN REGION, KANPUR, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 14.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	1-16
	ANNEXURES	
2.	COPY OF NOTESHEET ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-1	17-18
3.	COPY OF THE LETTER DT. 08.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-2.	19-20


4.	COPY OF THE LETTER DT. 15.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-3.	21-22
5.	COPY OF THE LETTER DT. 20.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-4	23-24
6.	COPY OF THE LETTER DT. 20.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-5	25-25
7.	COPY OF THE DECLARATION DT. 24.04.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-6	26-27
8.	COPY OF THE NOTESHEET ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-7	28-29
9.	COPY OF THE LETTER DT. 17.04.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-8	30-30
10.	COPY OF THE LETTER DT. 13.05.2025 ALONGWITH REPORT DT. 06.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-9	31-49
11.	COPY OF THE PHOTOGRAPHS OF WIRE FENCING ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-10	50-50
12.	COPY OF THE NOTIFICATION DT. 10.10.2019 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-11	51-77

13.	COPY OF THE NOTESHEET ALONGWITH MINUTES OF MEETING ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-12	78-80
13.	COPY OF THE ORDER DT. 23.09.2022 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-13	81-82

DATE: 21.05.2025

PLACE: NOIDA

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- [bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com)

Ph: 9639286572

①

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 529 OF 2023



IN THE MATTER OF:

DR. SHARAD GUPTA

.....APPLICANT


VERSUS

UNION OF INDIA & ORS

.....RESPONDENT(S)

AFFIDAVIT ON BEHALF OF CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS,  
WILDLIFE WESTERN REGION, KANPUR, UTTAR PRADESH IN  
COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 14.02.2025 PASSED BY THE  
HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, N. Ravindra, aged about 57 years S/o Shri M. Narasimhaiah, presently posted as Chief Conservator of Forests, Wildlife Western Region, Kanpur, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:



That I am the Deponent in the above captioned matter and am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

**SURESH KUMAR**  
Advocate & Notary Public  
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg  
Niwai Ganj, Chowk Lucknow  
Reg. No 31(89)09

*(Signature)*

12 1 MAY 2025


(2)

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

**I. BACKGROUND OF THE MATTER**

3. That in the present matter, the Hon'ble Tribunal is considering the issue of expansion of the area of Soor Sarovar Birds Sanctuary, Agra.
4. That it is pertinent to state that with respect to the area of (a) 403.09 hectares and (b) 380.558 hectares, final notification under Section 26A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 has already been issued.
5. That the matter was last listed for hearing on 04.02.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

*"5. Learned Counsel for the State has fairly stated that the entire area of 14,5025 hectare is government land and no part of it is a private land. The timeline disclosed in the affidavit of the Chief Conservator of Forest and Wildlife includes proceedings under Sections 24 and 25 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 which relate to acquisition of rights of any person in or over the land in question. Section 25 relates to acquisition proceedings. If the entire piece of land is government land with no private ownership, then the proceedings under Sections 24 and 25 may*




**SURESH KUMAR**  
Advocate & Notary Public  
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg  
Miwaj Ganj, Chowk Lucknow  
Reg. No. 31(89)09

21 MAY 2025

*not be required to be followed. Even otherwise, such a long time limit which provides for the issuance of final notification under Section 26A of the Act by 28.04.2027, cannot be accepted.*

*6. Hence, the Chief Conservator of Forest, Wildlife Western Circle, Kanpur, Uttar Pradesh as also the District Magistrate, Agra will appear virtually on the next date and apprise us about the realistic timeline for issuance of the final notification under Section 26A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 and also as to why in the affidavit of Conservator of Forest, Wildlife proceeding under Sections 24 and 25 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 have been included.*

*7. Learned Counsel appearing for the State also submits that he will place on record the details of the prohibited activities and unauthorised constructions on the above piece of land and the action taken to remove them. Counsel for the State is also directed to file further affidavit disclosing the status of eco-sensitive zone in respect of the entire area, including the expanded area."*



**II. TIMELINE FOR ISSUING THE FINAL NOTIFICATION UNDER SECTION 26A OF THE WILDLIFE (PROTECTION) ACT, 1972 FOR THE AREA OF 14.5025 HECTARES**

- i. Meeting held under the chairmanship of District Magistrate:**


**SURESH KUMAR**  
Advocate & Notary Public  
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg  
Niwaj Ganj, Chowk Lucknow  
Reg. No. 31/189109

21 MAY 2025

(4)

6. That pursuant to the abovementioned directions of this Hon'ble Tribunal a meeting was held under the chairmanship of District Magistrate, Agra on 04.04.2025 regarding the final notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for the area of 14.5025 hectares of the Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra. That the said meeting focused on reviewing the realistic timeline concerning the said 14.5025 hectares of land. As part of this, a detailed breakdown of the time required at the district level for undertaking the proceedings under Sections 19 to 25 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is provided as below:-

S. No.	Date Range	Details of Proceedings
1.	01.05.2025 to 07.07.2025	Time required for proceedings under Sections 19 to 22 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for the 14.5025-hectare area of Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra.
2.	08.07.2025 to 15.10.2025	Time required for proceedings under Sections 24 and 25 of the Act.
3.	16.10.2025 to 16.12.2025	Time required for preparing field book, maps, and proposal after studying records and surveying the 14.5025-hectare area.
4.	17.12.2025 to 17.01.2026	Time required for reviewing the field book, maps, and proposal, and for submitting the



**SURESH KUMAR**  
Advocate & Notary Public  
37/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg  
Niwaj Ganj, Chowk Lucknow  
Reg. No. 31(89)09

21 MAY 2025

		proposal to higher authorities for notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972.
--	--	---


A Copy of the notesheet has been annexed herewith as ANNEXURE A-1.

**ii. Inclusion of Sections 24 and 25 in the timeline:**

7. That it is germane to mention here that the said parcel of land i.e. 14.5025 hectares belongs to the Non- ZA Government land which is in the name of Irrigation Department. Therefore, for the better management of the sanctuary it is proposed that the name of the said piece of land has to be transferred in the name of the Forest Department after the approval from the State Government.

8. That the Collector/District Magistrate, Agra has written another letter dt. 08.05.2025 to the Chief Conservator of Forests (Wildlife), Western Region, Uttar Pradesh, Kanpur, requesting inclusion of the revised timeline for notification under Section 26A and submission to higher authorities.

A Copy of the letter dt. 08.05.2025 has been annexed herewith as ANNEXURE A-2.



*Suresh Kumar*  
**SURESH KUMAR**  
 Advocate & Notary Public  
 17/175 Kal14, Near Major Dev Das Marg  
 Miwaj Ganj, Chowk Lucknow  
 Reg. No. 31(89)09

21 MAY 2025

*le*

⑥


9. That further, the Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife), Lucknow, Uttar Pradesh has written a letter dt. 15.05.2025 to the Principal Secretary, Government of Uttar Pradesh. That vide the said letter it has been requested to the Principal Secretary to approve the proposed timeline by including the time taken by the State Government for the final notification u/s 26A of the Wildlife Protection Act, 1972 of the said piece of 14.5025 hectares of land.

A Copy of the letter dt. 15.05.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-3.**

**iii. Approval of the timeline**

10. That the Joint Secretary, Government of Uttar Pradesh has written a letter dt. 20.05.2025 to the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, Uttar Pradesh, Lucknow and Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, Lucknow. That vide the said letter, the timeline prescribed regarding the final notification under Section 26A of the 14.5025 hectares area has been approved.

A Copy of the letter dt. 20.05.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-4.**



**SURESH KUMAR**  
Advocate & Notary Public  
17/175 Karfa, Near Majar Devi Das Marg  
Niwai Ganj, Chowk Lucknow  
Reg. No. 31(89)09

21 MAY 2025

**iv. Final Timeline**

11. That it is relevant to mention that the Joint Secretary, Government of Uttar Pradesh has written another letter dt. 20.05.2025 to the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, Uttar Pradesh, Lucknow and Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, Lucknow. That the said letter states that the time required at the Government Level for the final notification under Section 26A of the Wildlife Protection, Act, 1972 is **01.02.2026 - 01.05.2026**.

Therefore, the detailed final timeline is stated as under:

S. No.	Date Range	Details of Proceedings
1.	01.05.2025 to 07.07.2025	Time required for proceedings under Sections 19 to 22 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for the 14.5025-hectare area of Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra.
2.	08.07.2025 to 15.10.2025	Time required for proceedings under Sections 24 and 25 of the Act.
3.	16.10.2025 to 16.12.2025	Time required for preparing field book, maps, and proposal after studying records and surveying the 14.5025-hectare area.
4.	17.12.2025 to 17.01.2026	Time required for reviewing the field book, maps, and proposal, and for submitting the proposal to higher authorities for notification

**SURESH KUMAR**  
Advocate & Notary Public  
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg  
Niwaj Ganj, Chowk Lucknow  
Reg. No. 31(89)09

*(Handwritten signature)*

21 MAY 2025

9


		under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972.
5.	18.01.2026 to 31.01.2026	Time required to take further action after testing/examining the proposal of 14.5025 hectares by Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, Lucknow
6.	01.02.2026 to 01.05.2026	Final notification under Section 26A (1)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 by the Government.

A Copy of the letter dt. 20.05.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-5.**

**v. Declaration u/s 21 of the Wildlife (Protection) Act, 1972**

12. That it is pertinent to mention that the declaration under Section 21 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for the 14.5025 hectare area of Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra, has already been issued by the District Magistrate, Agra on 24.04.2025.

A Copy of the declaration dt. 24.04.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-6.**



**SURESH KUMAR**  
Advocate & Notary Public  
17/175 Ka/14, Near Major Dew Das M  
Niwai Ganj, Chowk Lucknow  
Reg. No. 31(89)09

21 MAY 2025


**III. STATUS OF PROHIBITED ACTIVITIES AND**  
**UNAUTHORISED CONSTRUCTIONS ON 14.5025 HECTARES**  
**OF LAND**

**i. Meeting held under the chairmanship of DM, Agra on**  
**04.04.2025**

13. That it is most respectfully submitted that a meeting as mentioned above (*Refer @Para No. 6*) was convened on 04.04.2025 under the chairmanship of District Magistrate, Agra. That the said meeting also considered the discussion regarding the compliance with prohibiting restricted activities and prevention of illegal construction on the 14.5025 hectares.

**ii. Constitution of the Joint Committee**

14. That during the said meeting, the District Magistrate, Agra directed the SDM (Kirawali) to constitute a joint committee comprising of the officials from the **Revenue Department, Forest Department, and Police Department**. That the said committee shall be directed to proceed for the demarcation of the 14.5025-hectare land and ensure that no prohibited activities or illegal constructions take place at the said piece of land thereon.



**SURESH KUMAR**  
Advocate & Notary Public  
17/175 Kafiya, Near Majar Das Marg  
Niwai Ganj, Chowk, Lucknow  
Reg. No. 31(89)09

7 MAY 2025

A Copy of the Notesheet has been annexed herewith as ANNEXURE A-7.


15. That in furtherance of the same the Deputy Conservator of Forests National Chambal Sanctuary Project, Uttar Pradesh, Agra has written a letter dt. 17.04.2025 to the Additional District Magistrate, Agra. That vide the said letter it has been requested to the ADM, Agra to constitute a joint committee of the Revenue Department, Forest Department, and Police Department in the present matter to take further actions.

A Copy of the letter dt. 17.04.2025 has been annexed herewith as ANNEXURE A-8.

### iii. Report of the Joint Committee

16. That in response to the aforementioned letter, the District Magistrate, Agra has written a letter dt. 13.05.2025 to the Deputy Conservator of Forests, National Chambal Sanctuary Project, Agra. That the said letter states that a Joint Team has been constituted comprising of the Revenue Department, Forest Department, and Police Department vide letter dt. 21.04.2025.

17. That in furtherance of the same, the jointly signed report received from the Sub-Divisional Magistrate, Kirawali, vide letter No. 2088/ST dated



**SURESH KUMAR**  
Advocate & Notary Public  
17/175 Ka/14, Near Major Durr Das Marg  
Miwaj Ganj, Chowk Lucknow  
Reg. No. 31/89/09


21 MAY 2025

06.05.2025 has been provided by the District Magistrate, Agra. The report states that the joint team has conducted the inspection of the site (Village Chauma Farah and Village Runakta) on 26.04.2025. That the said report further states that total area of 14.5025 hectares of government land included in the Soor Sarovar Bird Sanctuary in Agra and is described as follows:

- Village Runakta (Khasra No.'s 4, 1) having area of 0.949 hectares
  - Village Chauma Farah (Khasra No. 99 and 101) having area of 13.486 hectares
  - Village Runakta (Khasra No. 18) having area of 0.0675 hectares
- (Total area= 0.949 + 13.486 + 0.0675 = 14.5025 hectares)**

18. That during the said inspection, the committee concluded that no illegal constructions exist upon the abovementioned land parcels, and no prohibited activities are being carried out.

A Copy of the letter dt.13.05.2025 alongwith the report dt 06.05.2025 has been annexed herewith as ANNEXURE A-9.



19. That vide the said report it has also been stated that the demarcation of the abovementioned land parcels has been completed via wire fencing using pillars along the outer boundary.

**SURESH KUMAR**  
Advocate & Notary Public  
17/175 Ka/14, Near Majar Dow Das Marg  
Niwai Ganj, Chowk Lucknow  
Reg. No. 31/89/08

21 MAY 2025

Copies of the photographs of the wire fencing has been annexed herewith as ANNEXURE A-10.


#### IV. STATUS OF ECO-SENSITIVE ZONE


##### i. Notification of the Eco- Sensitive Zone dt. 10.10.2019 of the 403.09 hectares area:


20. That it is most respectfully submitted that the Eco-Sensitive Zone (ESZ) notification for the area of 403.09 hectares of Soor Sarovar Bird Sanctuary has been issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi, vide Notification No. 3649(E) dated 10.10.2019. That as per the said notification, the total Eco- Sensitive Zone Area of the Protected Area of 403.09 hectares is 1020.25 hectares and the said Eco- Sensitive Zone is at the extent of 1 km uniform around the boundary of the Sanctuary.

21. That as per Point No. 5 of the said notification a Monitoring Committee has been constituted for overseeing the compliance of the ESZ notification.

22. That as per Point No. 6(1) of the said notification, the Monitoring Committee shall oversee compliance with the provisions of this notification.

  
**SURESH KUMAR**  
 Advocate & Notary Public  
 17/175 K2/14, Near Major Devi Das Marg  
 Niwai Ganj, Chowk Lucknow  
 Reg. No. 31/89/09

  
 21 MAY 2025



A Copy of the Notification dt. 10.10.2019 has been annexed herewith as  
**ANNEXURE A-11.**

**ii. Meeting held under the chairmanship of District Magistrate  
Agra:**

23. That a meeting under the chairmanship of District Magistrate, Agra was convened with the members of the Monitoring Committee on 04.04.2025 at 12:30 PM in the Collectorate Auditorium. That the said meeting was held to discuss regarding the status of the Eco-Sensitive Zone of entire area i.e. 798.1505 hectares of Soor Sarovar Bird Sanctuary.


A Copy of the notesheet alongwith the minutes of the meeting has been annexed herewith as **ANNEXURE A-12.**

**iii. Directions of the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C)  
No. 13381/1984**

24. That the discussions in the abovementioned meeting were held in compliance with the order dated 23.09.2022 passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 13381/1984, in IA Nos. 196157, 196158, and 196159 concerning the report of CEC dt. 25.11.2021.

That the relevant portion of the report is as under:

*"21. Keeping in view the facts and discussions in the preceding paragraphs, it is recommended for consideration of this Hon'ble Court*



**SURESH KUMAR**  
Advocate & Notary Public  
17/175 Ka/14, Near Major Dam Das Marg  
Niwai Ganj, Chowk Lucknow  
Reg. No. 31/69109

21 MAY 2025


that the Eco Sensitive Zone Notification dated 10.10.2019 issued by the MoEF&CC may not be interfered with and this Hon'ble Court may consider directing the State of Uttar Pradesh to –

i) Notify 403.09 ha of Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) under Section 26(A) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 after describing the limits of the area which shall be comprised within the Sanctuary in terms of survey numbers of the lands comprised within the SSBS and describe the boundary in terms of boundary pillars on east, west, south and north of the proposed Soor Sarovar Bird Sanctuary along with their forward and backward bearings within a period of two months from the date of order of this Hon'ble Court.

ii) Consider extending the area of the Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) by including the Surdas Reserve Forest block of 380.558 ha and 15.514 ha of the government land which currently forms the buffer zone of the Sanctuary outside the proposed boundary of the Sanctuary after following the procedure under Sections 18 to 25 of the Wildlife (Protection) Act, 1972.”

A Copy of the Order dt. 23.09.2022 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-13.**

25 Therefore, during the aforementioned meeting, the District Magistrate, Agra, directed that the notification of the Eco-Sensitive Zone of Soor




**SURESH KUMAR**  
Advocate & Notary Public  
117/175 Karfa, Near Major Devi Das Marg  
Niwai Ganj, Chowk Lucknow  
Reg. No. 31(89)03

21 MAY 2025

Sarovar Bird Sanctuary of the entire area i.e. 798.1505 hectares shall be issued after the final notification under section 26A (Wildlife Protection Act, 1972) of the 14.5025 hectares land is issued. That the District Magistrate, Agra further directed that necessary procedures with respect to the same shall be initiated.

26. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

27. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.



**SURESH KUMAR**  
Advocate & Notary Public  
175 K.M., Near Major Dev. Das Marg  
Niwai Ganj. Chowk Lucknow  
Reg. No. 31(89)09

21 MAY 2025

**DEPONENT**


16

**VERIFICATION**

Verified at Lucknow on this 21<sup>st</sup> day of May, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 27 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

**DEPONENT**

Solemnly affirmed before me in office today at 1-30pm by N. Ravindra who is identified by Self Clerk to San Self  
I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which has been read out and explained by me.



**SURESH KUMAR**  
Notary Public  
at 17/175, Block A, Majar Devi Das Marg  
Niwai Ganj, Chowk Lucknow  
Reg. No. 31(89)09

21 MAY 2025

## टीपें और आज्ञाएं

कार्यालय :  
उप वन संरक्षक,  
राष्ट्रीय चम्बल  
सैंक्युरी  
प्रोजेक्ट, उ०प्र०,  
आगरा।

जिलाधिकारी, आगरा  
महोदय,

सादर अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के सीमाओं का सुव्यवस्थाकरण से सम्बन्धित मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ०ए०सं० 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 14-02-2025 (संलग्नक-1) के बिन्दु संख्या 05, 06 व 07 जिसके प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

"5. Learned Counsel for the State has fairly stated that the entire area of 14.5025 hectare is government land and no part of it is a private land. The timeline disclosed in the affidavit of the Chief Conservator of Forest and Wildlife includes proceedings under Sections 24 and 25 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 which relate to acquisition of rights of any 3 person in or over the land in question. Section 25 relates to acquisition proceedings. If the entire piece of land is government land with no private ownership, then the proceedings under Sections 24 and 25 may not be required to be followed. Even otherwise, such a long time limit which provides for the issuance of final notification under Section 26A of the Act by 28.04.2027, cannot be accepted.

6. Hence, the Chief Conservator of Forest, Wildlife Western Circle, Kanpur, Uttar Pradesh as also the District Magistrate, Agra will appear virtually on the next date and apprise us about the realistic timeline for issuance of the final notification under Section 26A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 and also as to why in the affidavit of Conservator of Forest, Wildlife proceeding under Sections 24 and 25 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 have been included.

7. Learned Counsel appearing for the State also submits that he will place on record the details of the prohibited activities and unauthorised constructions on the above piece of land and the action taken to remove them. Counsel for the State is also directed to file further affidavit disclosing the status of eco-sensitive zone in respect of the entire area, including the expanded area."

इसके अनुपालन में जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 04-04-2025 द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A की अंतिम अधिसूचना हेतु क्षेत्रफल 14.5025 हे० भूमि में अधिकार तथा बन्दोबस्त के सम्बन्ध में टाइमलाइन के युक्तिकरण एवं पुनः निर्धारण करने के सम्बन्ध में प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 25 तक की कार्यवाही में जनपद स्तर पर लगाने वाले समय का विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	दिनांक	कार्यवाही का विवरण
1	01-05-2025 से 07-07-2025 तक	सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 22 तक की कार्यवाही में लगाने वाला समय।
2	08-07-2025 से 15-10-2025 तक	सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24 एवं 25 तक की कार्यवाही में लगाने वाला समय।

10

3	16-10-2025 से 16-12-2025 तक	सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० भूमि के अभिलेखों के अध्ययन तथा सर्वे के उपरान्त, फील्ड बुक, मानचित्र एवं प्रस्ताव तैयार किये जाने में लगने वाला समय।
4	17-12-2025 से 17-01-2026 तक	सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० के फील्ड बुक, मानचित्र एवं प्रस्ताव के परिशीलन के उपरान्त वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने की कार्यवाही में लगने वाला समय।

अतः सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के क्षेत्र 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A की अंतिम अधिसूचना के सम्बन्ध में टाइम लाइन का पुनः निर्धारण कर धारा 19 से 25 तक की कार्यवाही में जनपद स्तर पर लगने वाले समय के सम्बन्ध में पत्र पत्रावली में दाहनी तरफ संलग्न है। कृपया सहमति की दशा में उक्त पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहें।

संलग्नक:- यथोपरि।

दिनांक- 01-05-2025

शिविर कार्यालय पर  
प्राप्ति का दिनांक 06/5/2025

( चाँदनी सिंह )

उप वन संरक्षक

राष्ट्रीय चम्बल सेंक्चुरी प्रोजेक्ट,

उ०प्र० आगरा।

21/5/25  
ADM

~~जिलाधिकारी,  
आगरा,~~

## ANNEXURE A-2

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश आगरा

(Email: dfochambal@gmail.com, dfochambal@rediffmail.com)

पत्रांक 2296 / 10-1

आगरा,

दिनांक: ०४ मई, 2025

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में योजित ओ०ए०सं० 529/2023 (डा० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 14-02-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मुख्य वन संरक्षक,  
वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र,  
उ०प्र० कानपुर।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि सूर सरोवार पक्षी विहार कीठम आगरा के सीमाओं का सुव्यवस्थाकरण से सम्बन्धित मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ०ए०सं० 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 14-02-2025 के बिन्दु संख्या 05, 06 व 07 जिसके प्रभावी अंश निम्नवत्त है :-

"5. Learned Counsel for the State has fairly stated that the entire area of 14.5025 hectare is government land and no part of it is a private land. The timeline disclosed in the affidavit of the Chief Conservator of Forest and Wildlife includes proceedings under Sections 24 and 25 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 which relate to acquisition of rights of any 3 person in or over the land in question. Section 25 relates to acquisition proceedings. If the entire piece of land is government land with no private ownership, then the proceedings under Sections 24 and 25 may not be required to be followed. Even otherwise, such a long time limit which provides for the issuance of final notification under Section 26A of the Act by 28.04.2027, cannot be accepted.

6. Hence, the Chief Conservator of Forest, Wildlife Western Circle, Kanpur, Uttar Pradesh as also the District Magistrate, Agra will appear virtually on the next date and apprise us about the realistic timeline for issuance of the final notification under Section 26A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 and also as to why in the affidavit of Conservator of Forest, Wildlife proceeding under Sections 24 and 25 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 have been included.

7. Learned Counsel appearing for the State also submits that he will place on record the details of the prohibited activities and unauthorised constructions on the above piece of land and the action taken to remove them. Counsel for the State is also directed to file further affidavit disclosing the status of eco-sensitive zone in respect of the entire area, including the expanded area.

इसके अनुपालन में जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 04-04-2025 द्वारा सूर सरोवार पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A की अंतिम अधिसूचना हेतु क्षेत्रफल 14.5025 हे० भूमि में अधिकार तथा बन्दोबस्त के सम्बन्ध में टाइमलाइन के युक्तिकरण एवं पुनः निर्धारण करने के सम्बन्ध में

क्रमशः.....2

--2--

प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 25 तक की कार्यवाही में जनपद स्तर पर लगने वाले समय का विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-

क्र०स०	दिनांक	कार्यवाही का विवरण
1	01-05-2025 से 07-07-2025 तक	सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 22 तक की कार्यवाही में लगने वाला समय।
2	08-07-2025 से 15-10-2025 तक	सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24 एवं 25 तक की कार्यवाही में लगने वाला समय।
3	16-10-2025 से 16-12-2025 तक	सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० भूमि के अभिलेखों के अध्ययन तथा सर्वे के उपरान्त, फील्ड बुक, मानचित्र एवं प्रस्ताव तैयार किये जाने में लगने वाला समय।
4	17-12-2025 से 17-01-2026 तक	सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० के फील्ड बुक, मानचित्र एवं प्रस्ताव के परिशीलन के उपरान्त वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26 A की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने की कार्यवाही में लगने वाला समय।

अतः अनुरोध है कि सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A की अंतिम अधिसूचना हेतु लगने वाले समय की टाइम लाइन के सम्बन्ध में अपने स्तर पर लगने वाले समय को सम्मिलित करते हुए उक्त टाइम लाइन को अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

  
जिलाधिकारी,  
आगरा।

पत्रांक:- 2256 /10-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र०, लखनऊ को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

  
जिलाधिकारी,  
आगरा।

## ANNEXURE A-3

महत्वपूर्ण/अगली सुनवाई तिथि 22.05.2025/ई-मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- 3082/10-1 (कोर्ट केस) लखनऊ, दिनांक, मई, 15, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-4  
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0सं0-529/2023 (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर का पत्रांक-2138/26-11(चम्बल) दिनांक 09.05.2025(प्रति संलग्न) एवं मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक-को0के0 3294/6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक 13.05.2025।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का दिनांक 09.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0सं0-529/2023 (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के बिन्दु संख्या-05, 06 व 07 के प्रभावी अंश का निम्नवत उल्लेख किया गया है:-

5. Learned Counsel for the State has fairly stated that the entire area of 14.5025 hectare is government land and no part of it is a private land. The timeline disclosed in the affidavit of the Chief Conservator of Forest and Wild life includes proceedings under Sections 24 and 25 of the WildLife (Protection) Act, 1972 which relate to acquisition of rights of any 3 person in or over the land in question. Section 25 relates to acquisition proceedings. If the entire piece of land is government land with no private ownership, then the proceedings under Sections 24 and 25 may not be required to be followed. Even otherwise, such a long time limit which provides for the issuance of final notification under Section 26A of the Act by 28.04.2027, can not be accepted.

6. Hence, the Chief Conservator of Forest, Wildlife Western Circle, Kanpur, Uttar Pradesh as also the District Magistrate, Agra will appear virtually on the next date and apprise us about the realistic timeline for issuance of the final notification under Section 26A of the Wild Life(Protection) Act, 1972 and also as to why in the affidavit of Conservator of Forest, Wild life proceeding under Sections 24 and 25 of the WildLife(Protection)Act, 1972 have been included.

7. Learned Counsel appearing for the State also submits that he will place on record the details of the prohibited activities and unauthorised constructions on the above piece of land and the action taken to remove them. Counsel for the State is also directed to file further affidavit disclosing the status of eco-sensitive zone in respect of the entire area, including the expanded area.

उक्त आदेश के अनुपालन हेतु प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 04-04-2025 द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे0 क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 6A की अंतिम अधिसूचना हेतु क्षेत्रफल 14.5025 हे0 भूमि में अधिकार तथा बन्दोबस्त के सम्बन्ध में टाइमलाइन के युक्तिकरण एवं पुनः निर्धारण करने के सम्बन्ध में प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे0 क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 25 तक की कार्यवाही में जनपद स्तर पर लगने वाले समय का विस्तृत विवरण (टाइम लाइन) निम्नवत प्रेषित किया गया है:-


क्र०सं०	दिनांक	कार्यवाही का विवरण
1	01-05-2025 से 07-07-2025 तक	सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 22 तक की कार्यवाही में लगने वाला समय।
2	08-07-2025 से 15-10-2025 तक	सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24 एवं 25 तक की कार्यवाही में लगने वाला समय।
3	16-10-2025 से 16-12-2025 तक	सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० भूमि के अभिलेखों के अध्ययन तथा सर्वे के उपरान्त, फील्ड बुक, मानचित्र एवं प्रस्ताव तैयार किये जाने में लगने वाला समय।
4	17-12-2025 से 17-01-2026 तक	सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० के फील्ड बुक, मानचित्र एवं प्रस्ताव के परिशीलन के उपरान्त वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने की कार्यवाही में लगने वाला समय।
<b>प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, उ०प्र० लखनऊ कार्यालय के स्तर से कार्यवाही का विवरण।</b>		
5	दिनांक-18.01.2026 से 31.01.2026 तक	सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० के प्रस्ताव के परीक्षण/परिशीलन उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही में लगने वाला समय।

उक्त टाइम लाइन के क्रमांक-05 पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, उ०प्र० लखनऊ कार्यालय के स्तर से कार्यवाही में लगने वाले समय का विवरण उपरोक्तानुसार अंकित करते हुए अनुरोध है कि कृपया सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हेक्टेयर को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26 ए के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने हेतु उक्तानुसार प्रेषित टाइम लाइन में शासन स्तर से लगने वाले समय को सम्मिलित करते हुए प्रेषित प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 14.02.2025 के अनुपालन में मा० अधिकरण को ससमय अवगत कराया जा सके।

अतः अतः कराना है कि विषयक वाद में सुनवाई की तिथि 22.05.2025 नियत है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीया,

  
(अनुराधा वेमूरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।।

पत्रांक : 3082 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयक प्रकरण में शासन से समन्वय स्थापित कराकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण को शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से अवगत कराने हेतु अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही ससमय कराने का कष्ट करें।

- 1-मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2-मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
- 3-उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, आगरा।

  
(अनुराधा वेमूरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

## ANNEXURE A-4

कोर्टकेस/महत्वपूर्ण

संख्या-834 / 81-04-2025

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना

संयुक्त सचिव,

उ०प्र०शासन

सेवा में,

(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,

उ०प्र०, लखनऊ।

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,

उ०प्र०लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 20 मई, 2025

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-529/2023 डा० शरद गुप्ता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र० के पत्र संख्या-3082/10-1(कोर्टकेस), दिनांक 15.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत वाद में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के 14.5025 हेक्टेयर की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26ए की अन्तिम अधिसूचना जारी करने हेतु कार्यवाही में लगने वाले समय का विस्तृत विवरण (टाइम लाइन) उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-529/2023 डा० शरद गुप्ता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के बिन्दु संख्या-05, 06 व 07 के प्रभावी अंश निम्नवत है:-

5. *Learned Counsel for the State has fairly stated that the entire area of 14.5025 hectare is government land and no part of it is a private land. The timeline disclosed in the affidavit of the Chief Conservator of Forest and Wild life includes proceedings under Sections 24 and 25 of the WildLife (Protection) Act, 1972 which relate to acquisition of rights of any 3 person in or over the land in question. Section 25 relates to acquisition proceedings. If the entire piece of land is government land with no private ownership, then the proceedings under Sections 24 and 25 may not be required, to be followed. Even otherwise, such a long time limit which provides for the issuance of final notification under Section 26A of the Act by 28.04.2027, can not be accepted.*

6. *Hence, the Chief Conservator of Forest, Wildlife Western Circle, Kanpur, Uttar Pradesh as also the District Magistrate, Agra will appear virtually on the next date and apprise us about the realistic timeline for issuance of the final notification under Section 26A of the Wild Life(Protection) Act, 1972 and also as to why in the affidavit of Conservator of Forest, Wild life proceeding under Sections 24 and 25 of the WildLife(Protection)Act, 1972 have been included.*

7. *Learned Counsel appearing for the State also submits that he will place on record the details of the prohibited activities and unauthorised constructions on the above piece of land and the action taken to remove them. Counsel for the State is also directed to file further affidavit disclosing the status of eco-sensitive zone in respect of the entire area, including the expanded area.*

3- अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र० के पत्र संख्या-3082/10-1(कोर्टकेस), दिनांक 15.05.2025 द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के 14.5025 हेक्टेयर की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26ए की अन्तिम अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही हेतु निम्नवत टाइम लाइन उपलब्ध कराया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	कार्यवाही का विवरण
1	01-05-2025 07-07-2025 तक	सेसूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 22 तक की कार्यवाही में लगने वाला समय।
2	08-07-2025 15-10-2025 तक	सेसूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० क्षेत्रफल के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24 एवं 25 तक की कार्यवाही में लगने वाला समय।
3	16-10-2025 16-12-2025 तक	सेसूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० भूमि के अभिलेखों के अध्ययन तथा सर्वे के उपरान्त, फील्ड बुक, मानचित्र एवं प्रस्ताव तैयार किये जाने में लगने वाला समय।
4	17-12-2025 17-01-2026 तक	सेसूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० के फील्ड बुक, मानचित्र एवं प्रस्ताव के परिशीलन के उपरान्त वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26ए की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने की कार्यवाही में लगने वाला समय।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, उ०प्र० लखनऊ कार्यालय के स्तर से कार्यवाही का विवरण।		
5	दिनांक-18.01.2026 से 31.01.2026 तक	सेसूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के 14.5025 हे० के प्रस्ताव के परीक्षण/परिशीलन उपरान्त अग्रतर कार्यवाही में लगने वाला समय।

4- अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र० के पत्र संख्या-3082/10-1(कोर्टकेस), दिनांक 15.05.2025 द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के 14.5025 हेक्टेयर की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26ए की अन्तिम अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त समय सीमा तथा धारा-26 के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना की कार्यवाही हेतु मा० एन०जी०टी० में समयान्तर्गत शपथपत्र दाखिल कराये जाने तथा मा० एन०जी०टी० में सुनवाई हेतु नियत तिथि 22.05.2025 को उपस्थित रहने हेतु किसी वरिष्ठ व सक्षम अधिकारी को मा० एन०जी०टी० में उपस्थित रहने हेतु नामित करने का कष्ट करें। तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(नीरजा सक्सेना)

संयुक्त सचिव।

संख्या- (1)/81-4-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र कानपुर।
- (2) प्रभागीय वनाधिकारी, राष्ट्रीय चम्बल सेनचुरी प्रोजेक्ट, आगरा।

आज्ञा से,

(नीरजा सक्सेना)

संयुक्त सचिव।

## ANNEXURE A-5

संख्या- 856 /81-04-2025

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक-20 मई, 2025

विषय- राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-529/2023 (डा० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-3392/6ई-2 (एन०जी०टी०), दिनांक 19.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हेक्टेयर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 26 ए के अन्तर्गत अन्तिम सूचना जारी करने हेतु उक्तानुसार प्रेषित टाइम लाइन में शासन स्तर से लगने वाले समय को सम्मिलित करते हुए प्रेषित प्रस्ताव को अनुमोदित करने का अनुरोध किया गया है कि ताकि तदनुसार मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 14.02.2025 के अनुपालन में मा० अधिकरण को ससमय अवगत कराया जा सके।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र० लखनऊ के सन्दर्भित पत्रांक-3082/10-1(कोर्ट केस), दिनांक 15.05.2025 के अनुक्रम में शासन के पत्रांक-834/81-04-2025, दिनांक 19.05.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी टाइम लाइन पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिसमें शासन स्तर पर लगने वाला समय सम्मिलित नहीं है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में शासन स्तर पर पूर्व निर्धारित टाइम लाइन दिनांक 28.01.2027 से दिनांक 28.04.2027 को संशोधित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 01.02.2026 से दिनांक 01.05.2026 तक निर्धारित किया जाता है।

भवदीया,

(नीरजा सक्सेना)  
संयुक्त सचिव।

## ANNEXURE A-6

सार्वजनिक सूचना।वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत उद्घोषणा

सर्व साधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 4 की विज्ञप्ति संख्या 630/81-4-2024 दिनांक 27-12-2024 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके क्षेत्रफल 14.5025 हे० में फैली सरकारी भूमि जिसकी सीमाएं एवं क्षेत्र नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, को सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के क्षेत्र में सम्मिलित करने की घोषणा की गयी है।

अतः वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-21 (सहपठित धारा-19) के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है कि यदि किसी को कोई आपत्ति है या किसी का कोई स्वत्व अधिकार (सीमा व प्रकृति सहित) या व्यवधान अन्तर्निहित हो तो उद्घोषणा प्रकाशित होने की तिथि से दो माह की अवधि में मय क्षतिपूर्ति/अधिकार अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत कराये अन्यथा माना जायेगा कि किसी को कुछ नहीं कहना है। तत्पश्चात् वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-19 से 26 तक की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सर्व साधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि उ०प्र० शासन की उपरोक्त विज्ञप्ति दिनांक 27-12-2024 के बाद उद्घोषित क्षेत्र के अन्दर उत्तराधिकार, इच्छा पत्र (वसीयत शुदा) या बिना इच्छा पत्र (गैर वसीयत शुदा) स्वत्वों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार सृजित नहीं होगा।

अनुसूची

सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में सम्मिलित 14.5025 हे० क्षेत्र का सीमा विवरण यथा निम्नवत् है:-

वन खण्ड- 1

उत्तर - ग्राम सींगना की यमुना नदी

पूर्व- ग्राम रूनकता की गाटा संख्या- 03

दक्षिण- सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा संख्या- 04

पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा संख्या- 610, 611 एवं 612

वन खण्ड- 2

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम चौमा फरह की गाटा संख्या- 101

पूर्व- ग्राम चौमा फरह की गाटा संख्या - 103

दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 19 की सीमा

पश्चिम- ग्राम चौमा फरह की गाटा संख्या- 79 व 80

वन खण्ड- 3

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा संख्या- 18

पूर्व- ग्राम रूनकता की गाटा संख्या- 29, 30 और 76

दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 19 की सीमा

पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा संख्या- 17

क्षेत्र

सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में सम्मिलित 14.5025 हे० सरकारी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

वन खण्ड- 1

गाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
04	रूनकता	0.350
01	रूनकता	0.599
	कुल योग	0.949 हे०

क्रमशः.....2

—2—

वन खण्ड- 2

गाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
99	चौमा फरह	0.691
101	चौमा फरह	12.795
कुल योग		13.486 हे०

वन खण्ड- 3

गाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
18	रूनकता	0.0675
कुल योग		0.0675 हे०

क्षेत्रफल का कुल योग

वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
1	रूनकता	0.949
2	चौमा फरह	13.486
3	रूनकता	0.0675
कुल योग		14.5025 हे०

**कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंक्युरी प्रोजेक्ट, आगरा।**

पत्रांक- 2/26 / 10-1 आगरा

दिनांक, 24 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं वृहद प्रसार एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, आगरा।
2. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंक्युरी प्रोजेक्ट, आगरा।
3. उप जिलाधिकारी, किरावली, आगरा।
4. खण्ड विकास, अधिकारी अछनेरा, आगरा।
5. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचना वृहद् प्रचार-प्रसार तथा कम से कम 02 प्रमुख स्थानीय दैनिक अखबारों में प्रकाशित करायें।

  
 जिलाधिकारी,  
 आगरा।

## टीपें और आज्ञाएं

जिलाधिकारी, आगरा

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के सीमाओं का सुव्यवस्थीकरण से सम्बन्धित मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ०ए०सं० 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 14-02-2025 के प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

"5. Learned Counsel for the State has fairly stated that the entire area of 14.5025 hectare is government land and no part of it is a private land. The timeline disclosed in the affidavit of the Chief Conservator of Forest and Wildlife includes proceedings under Sections 24 and 25 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 which relate to acquisition of rights of any 3 person in or over the land in question. Section 25 relates to acquisition proceedings. If the entire piece of land is government land with no private ownership, then the proceedings under Sections 24 and 25 may not be required to be followed. Even otherwise, such a long time limit which provides for the issuance of final notification under Section 26A of the Act by 28.04.2027, cannot be accepted.

6. Hence, the Chief Conservator of Forest, Wildlife Western Circle, Kanpur, Uttar Pradesh as also the District Magistrate, Agra will appear virtually on the next date and apprise us about the realistic timeline for issuance of the final notification under Section 26A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 and also as to why in the affidavit of Conservator of Forest, Wildlife proceeding under Sections 24 and 25 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 have been included.

7. Learned Counsel appearing for the State also submits that he will place on record the details of the prohibited activities and unauthorised constructions on the above piece of land and the action taken to remove them. Counsel for the State is also directed to file further affidavit disclosing the status of eco-sensitive zone in respect of the entire area, including the expanded area.

उपरोक्त के आलोक में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के बिन्दु सं० 6 व 7 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A की अंतिम अधिसूचना हेतु राजकीय भूमि में अधिकार तथा बन्दोबस्त के सम्बन्ध में टाइमलाइन निर्धारण तथा सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 14.5025हे० भूमि पर प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप, अवैध निर्माण न होने के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार कक्ष में दिनांक 04-04-2025 को बैठक आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री कृष्णा चन्द्र शेखर, वन्य जीव प्रतिपालक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, इटावा।
2. श्री अनिल चौधरी, नायब तहसीलदार, किरावली, आगरा।
3. श्री अंकित यादव, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा।
4. श्री अभिषेक, क्षेत्रीय वनाधिकारी, किरावली, आगरा।

अलिय :  
वन संरक्षक,  
पिय चम्बल  
सैंक्चुरी  
ए. उ० प्र०,  
आगरा।

6

उक्त बैठक में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 व बिन्दु सं० 6 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A की अंतिम अधिसूचना हेतु राजकीय भूमि में अधिकार तथा बन्दोबस्त के सम्बन्ध में टाइमलाइन निर्धारण हेतु ए०डी०एम० (प्रशासन), एस०डी०एम० (किरावली) एवं तहसीलदार (किरावली) को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

इसके अतिरिक्त मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के बिन्दु सं० 7 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 14.5025 हे० भूमि पर प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप, अवैध निर्माण न होने के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा द्वारा एस०डी०एम० (किरावली) को राजस्व विभाग, वन विभाग एवं पुलिस विभाग की एक संयुक्त समिति गठित कर उक्त भूमि 14.5025 हे० के सीमांकन कर सुरक्षित करने हेतु निर्देश दिये गये।

उक्त बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर पत्रावली के दाहिनी तरफ संलग्न है। कृपया अनुमोदन प्रदान करते हुए सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहे।

दिनांक- 09-04-2025



( चॉदनी सिंह )  
उप वन संरक्षक  
राष्ट्रीय चम्बल सेंक्युरी प्रोजेक्ट,  
उ०प्र० आगरा।

आज 16/04/2025

17/4/25  
जिलाधिकारी  
आगरा

## ANNEXURE A-8

संलग्नक - 3

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश आगरा

पत्रांक 2067 / 10-1

आगरा, दिनांक: अप्रैल 17, 2025

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन)  
आगरा।

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में योजित ओ0ए0सं0 529/2023 (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 14-02-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण से सम्बन्धित मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 (संलग्न) के बिन्दु सं0 6 एवं 7 के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 04-04-2025 को सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A की अंतिम अधिसूचना हेतु एक बैठक आहूत की गयी है।

उक्त बैठक में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के बिन्दु सं0 7 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 भूमि पर प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप, अवैध निर्माण न होने के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा द्वारा एस0डी0एम0 (किरावली) को राजस्व विभाग, वन विभाग एवं पुलिस विभाग की एक संयुक्त समिति गठित कर उक्त भूमि 14.5025 हे0 के सीमांकन कर सुरक्षित करने हेतु निर्देश दिये गये।

अतः अपसे अनुरोध है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 भूमि पर प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप, अवैध निर्माण न होने के अनुपालन के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, वन विभाग एवं पुलिस विभाग की एक संयुक्त समिति गठित करवाने का कष्ट करे। जिससे मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के बिन्दु सं0 7 का अनुपालन किया जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,



(चौदनी सिंह)

उप वन संरक्षक,

राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट,

उ0प्र0, आगरा।

## ANNEXURE A-9

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

पत्रांक:- 1339 / डीएलआरसी

दिनांक:- 13 मई, 2025

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नम्बर 529/2023 डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य के सम्बन्ध में।

उप वन संरक्षक,  
राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट,  
आगरा।


कृपया, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2067/10-1 आगरा, दिनांक 17.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0 संख्या 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के बिन्दु संख्या 7 के अनुपालन के सम्बन्ध में सूर सरोवर पक्षी बिहार के क्षेत्रफल 14.5025 है0 भूमि पर प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप, अवैध निर्माण न होने के अनुपालन के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, वन विभाग एवं पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन कर अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1255/डीएलआरसी दिनांक 21.04.2025 के द्वारा तदनुसार टीम का गठन करते हुए, मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2025 के बिन्दु संख्या-7 का अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये।

तदक्रम में गठित टीम द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित उपजिलाधिकारी किरावली के पत्र संख्या 2088/एस0टी0 दिनांक 06.05.2025 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए, विस्तृत आख्या संलग्नकों सहित प्रस्तुत की है। आख्या में उल्लेख किया गया है कि "संयुक्त टीम द्वारा पैमाइश कर मुड्डियाँ गढ़वा दी गयीं हैं तथा बाहरी सीमा पर तार फौन्सिंग कर ली गई है। उक्त गाटा संख्याओं पर कोई अवैध पक्का निर्माण नहीं है एवं कोई प्रतिबन्धित क्रियाकलाप संचालित नहीं है।"

अतः गठित टीम की संयुक्त हस्ताक्षरित उक्त पत्र/ आख्या दिनांक 06.05.2025 एवं उसके संलग्नकों की प्रतियाँ आपको मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। कृपया, तदनुसार वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

  
(अजय कुमार सिंह)  
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)  
→ आगरा।

संख्या व दिनांक: तद।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)  
आगरा।

## कार्यालय उप जिलाधिकारी किरावली आगरा।

पत्रांक: 2088/54

दिनांक 06 मई 2025

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित ओ0ए0सं0-529/2023, (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) मे पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के अनुपालन के संबंध मे।

सेवा मे,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)  
आगरा।

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा के पत्र संख्या-1255/डी0एल0 आर0सी0 दिनांक 21.04.2025 जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0सं0-529/2023, (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) मे पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के अनुपालन के संबंध मे है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

पर जिलाधिकारी (प्रशासन)  
आगरा

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में सम्मिलित 14.5025 है0 सरकारी भूमि का

7-05-25 विवरण निम्न प्रकार है:-

### वन खण्ड-1

गाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल है0
04	रूनकता	0.350
01	रूनकता	0.599
कुल योग		0.949 है0

### वन खण्ड-2

गाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल है0
99	चौमा फरह	0.691
101	चौमा फरह	12.795
कुल योग		13.486 है0







## वन खण्ड-3

गाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल है०
18	रूनकता	0.0675
कुल योग		0.0675 है०

## क्षेत्रफल का कुल योग


वनखण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल है०
1	रूनकता	0.949
2	चौमा फरह	13.486
3	रूनकता	0.0675
कुल योग		14.5025 है०

उपरोक्त के सम्बंध में दिनांक 26.04.2025 को अद्योहस्ताक्षरी के नेतृत्व में राजस्व टीम, वन विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में चौमा फरह व रूनकता के अभिलेखों का परीक्षण व स्थलीय निरीक्षण किया। ग्राम चौमा फरह की खसरा संख्या-99 क्षेत्रफल 3-0-0 वीघा(0.6910 है०) राजस्व अभिलेखों में एन०जेड०ए० के अर्न्तगत श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि में रजवाहा निकास पानी के नाम एवं खसरा संख्या-101 क्षेत्रफल 400-8-0 वीघा (92.2920 है०) राजस्व अभिलेखों में एन०जेड०ए० के अर्न्तगत श्रेणी 15(1) में बन्धस्केप के नाम अंकित है। सी०एच० 45 व खतौनी की छायाप्रति संलग्न है।

ग्राम रूनकता की खसरा संख्या-1 क्षेत्रफल 2-12-0 वीघा(0.599 है०) श्रेणी 15(1) अर्न्तगत एन०जेड०ए० में गन्दी नाला के नाम व खसरा संख्या 4 क्षेत्रफल 529-7-0 वीघा (121.961 है०) श्रेणी 15(1) अर्न्तगत एन०जेड०ए० में बन्ध स्केप के नाम तथा खसरा संख्या -18 क्षेत्रफल 4-5-0 वीघा (0.9800 है०) श्रेणी 15(2) अर्न्तगत एन०जेड०ए० में सर्विस रोड के नाम अंकित है। सी०एच० 45 व खतौनी की छायाप्रति संलग्न है।

ग्राम चौमा फरह की खसरा संख्या -101 के वन विभाग के पिलर संख्या 24, 27 व 28 के मध्य की भुजाओं की टीम द्वारा पैमाईश कर मुडडीयां गढवा ली गई तथा वन विभाग द्वारा कब्जा प्राप्त कर उक्त तीनों बिन्दुओं के मध्य की सीमा पर तार फेसिंग कर ली गई है। तथा खसरा संख्या-99 की मुडडीयां लगवाकर सुरक्षित कर लिया गया है।

ग्राम रूनकता की खसरा संख्या 1, 4 व 18 का संयुक्त टीम द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पूर्व से ही कब्जा मुक्त है तथा मौके पर मुडडीयां गाढकर सुरक्षित किया गया। वर्तमान में ग्राम रूनकता की उक्त गाटा संख्याओं पर कोई अवैध पक्का निर्माण नहीं है एवं कोई प्रतिबंधित क्रियाकलाप संचालित नहीं है।



अतः उपरोक्तानुसार ग्राम रूनकता की गाटा संख्या 04 (0.350है०), गाटा संख्या-1 (0.599है०) कुल 0.949है०, ग्राम चौमा फरह गाटा संख्या 99 (0.691है०), गाटा संख्या 101 (12.795है०) कुल 13.486है० तथा ग्राम रूनकता गाटा संख्या 18(0.0675है०) कुल (0.0675है०) उपरोक्त समस्त गाटाओं का कुल योग (14.5025है०) का संयुक्त टीम द्वारा पैमाइश कर मुडिडयों गडवा ली गयी तथा बाहरी सीमा पर तार फैंसिंग कर ली गयी है। उक्त गाटा संख्याओं पर कोई अवैध पक्का निर्माण नहीं है एवं कोई प्रतिबन्धित कियाकलाप संचालित नहीं है।


अतः उपरोक्त रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।



थानाध्यक्ष  
थाना सिकन्दरा



ए०सी०एफ०/ वार्डन  
सूरसरोवर पक्षी बिहार



उप जिलाधिकारी  
किरावली, आगरा

राष्ट्रीय चम्बल सेंक्चुरी प्रोजेक्ट

आगरा

## प्रतिलिपि खतौनी

नाम मुहाल मिलिखत सशका (ग्राम

(जहाँ जलिया नाम, नहीं है)

केनकला

तहसील

किरावली

जिला आगरा

रान फराली — से 1432 फराली तक।

खाता खतौनी क्रम संख्या	नाम कास्ताकार मय पिता/पति का नाम व निवास	गुददत काश्त	खरारा नम्बर	क्षेत्रफल	लगान		विवरण
					नकदी	जिन्सी लगान का नकद गूला	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रेणी 15(1) :- बन्ध स्केप	-	4	121.961	-		52902
2	गन्दी नाला	-	1	0.599	-		2112
5	श्रेणी 15(2) :- भूमियां जो जाती हैं - सर्विस शेड	-	18	0.9800	-		81
							सरकारी कार्य हेतु जारी

03/05/2022

१५५६

बी० ए० आकार पत्र १५  
(नियम १०)

घोष पत्रवन्ती प्रक्रियामें की गारा २७ के समीप तैयार की गई

पंचायत समिति का नाम: पंचायत समिति पंचायत क्षेत्र: पंचायत क्षेत्र जिला: जिला

खण्डों की संख्या	आदिवार का नाम, पुराने नाम तथा नियात स्थान	बोर्ड द्वारा की गई	नई गारा संख्या	क्षेत्रफल	आदिवार द्वारा देय मासिक जमीनी या मयान	विशेष विवरण
१	पुराना १ सा रज्जाल्लाल जगज्जाल १३		४	५	१	
	पुराना २६ कृषि योग्य भूमि					
	(५) नई परसो					
	(२) प्राचीन परसो					
	(३) कृषि योग्य वज्जाल्लाल					
	पुराना १५ - गुणवत्ता भूमि					
	(५) जलमय भूमि					
	बन्ध स्वरूप		४	५		
	२ मज्जा जाली		५	५		
	३ मज्जा		५५४	५५३		
			५६८	५६३		
			५५५	५६५		

पंचायत समिति का नाम: पंचायत समिति पंचायत क्षेत्र: पंचायत क्षेत्र जिला: जिला

१९६५-६६ का २१/६५-६४ (१२००००)

सहायक पंचायत समिति के द्वारा

०३/०५-२०२५

१४२७

बो. व. आकार पत्र (वि. २७)

बो. व. आकार पत्र (वि. २७) के अन्तर्गत वि. २७ के अन्तर्गत वि. २७ के अन्तर्गत

क्र. सं.	आदिवासी का नाम, पिता का नाम तथा निवासी स्थान	आदिवासी का पंच नाम	सं. भा. संख्या	वि. सं.	आदिवासी द्वारा देय भू-आयतन का मसाम	विशेष विवरण
			५२५	५११५		
			७४०	५४०१		
			२०२	५११		
			५	३१५		
	भाग खुरा ५२ (५)		२	५६३		
	खुरा ५२ (२) स्थान, सड़क, रेल मजान गुरु		२	५११		
	उपभाग ५२ (२) स्थान न. स्थान न. स्थान न. स्थान न. स्थान न.					
५	स. ५०५ रेल		३२४	५११५	९०	
			२४६	११३-९०		
			२०९५	९६१	१५	
			३	७२३	५५	
६	सराय २१५		९२	४१		
			६४२	९११५		
७	धुल नहर					

आदिवासी का नाम, पिता का नाम तथा निवासी स्थान  
 आदिवासी का पंच नाम  
 सं. भा. संख्या  
 वि. सं.  
 आदिवासी द्वारा देय भू-आयतन का मसाम  
 विशेष विवरण  
 १९९०-मई-५५०५०० २१६९-४५ (१२००००)  
 ०३/०५/२०२५

५३५

सो. ए. पाकार पत्र ४१  
( नियम २३ )  
पुस्तकालय ससरा ( सर्व भूवाचक )



सं. १२३४५६७८९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९

नई संख्या	बेगन	पुरानी संख्या	बेगन	नयी भाषा शतकी संख्या	पिछले वर्गोदर की भूमि वर्गों (Soil Class)	विषय का सामन	विशेष विवरण
१	२१२	१	२१२	६६			गन्दी नाली राजकीय सम्पत्ति
२	२१३	२	२१३	७४९			जंगलात
३	२३७१२	३	२३७१२	७४९	बैना०कक०		जंगलात
४	२२६१२	४	२२६१२	९			बन्ध कोठमस्केप राजकीय सम्पत्ति
५	१११	५	१११	७९०	बैना०पै०२	असंचित	
६	२१११	६	२१११	७९०७४२ १४९१२	बैना०पै०२	असंचित	बंजर
७	१११	७	१११	६०८	बैना०पै०२	असंचित	
८	१११	८	१११	६०८	बैना०पै०२	असंचित	
९	१११	९	१११	६०८	बैना०पै०२	असंचित	
१०	१११	१०	१११	६०८	बैना०पै०२	असंचित	
११	१११	११	१११	६०८	बैना०पै०२	असंचित	
१२	२१	१२	२१	६५	बैना०पै०२	असंचित	बेहड़
१३	२१११३	१३	२१११३	६५ ३३० १२ ६११	३६८ ७४३ १११ ६९		
	७२३३		७२३३				
		असंचित				असंचित	
	सिंचित		असंचित			असंचित	

लेखापत्र: इसका प्रयोग सिंचन के लिए किया जा सकता है।  
दिनांक: २६/११/२०१५  
१६१-१६६/भाग २०/१६-१४--(२०,०००००)

सहायक पकवली अधिकारी  
सहायक कार्य  
०३/०५/२०१५

456

जो० च० आकार पत्र ४१  
(नियम १३)  
दुसनात्मक खसरा (फद गुतावकृत)




गावः रानुवती परगना व. तहसील किरावली जिला अजमेर

नई संख्या	क्षेत्रफल	पुरानो संख्या	क्षेत्रफल	नयी छावा खतीनी संख्या	पिछले बन्दोयस्त की भूमि श्रेणी (Soil Class)	सिचाई का साधन	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
५७	२१५	२४	५६३	१०४१			जंगलगत
		२५	॥		बि० ना० १००		
		२६	॥		बि० ना० १००		
		२७	॥				
		२८	॥		बि० ना० १००		
		२९	॥		बि० ना० १००		
		३०	॥		बि० ना० १००		
		३१	॥				
		३२	॥				
		३३	॥				
		३४	॥				
५८	५१	३५	५१	५			सड़क
५९	५२	३६	५२	२००	बि० ना० १००	असिंचित	
		२११/२	२११/२				
		३२	१				
		३२	३२				

क्षेत्रफल के हस्ताक्षर प्रयामसिंह चक्रवर्ती के नाम कि हस्ताक्षर  
विशेष सूचना—स्तम्भ ५ नई खतीनी तैयार हो जाने पर भरा जायगा।  
१९६६—बुलाई—९६६/फाम २१/६३-६४—(२०:०००००)

राहाफक चक्रवर्ती के हस्ताक्षर  
सुभाष कापूर  
२३/०५/२०२५

15  
 नजरी नव-श्री कवत खसल से 1, 4, 18  
 स्थित ग्राम - कूनक. (1) तहसील विशवली  
 जनपद - डो. (1)



Note: जव सय लेखता (गट्टी नाला) 1-1 राजस के प्रदर्शित नही है

EW  
 03/04/2025  
 EW  
 03/05/2025

आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में  
आंकित खसरा नम्बरों का विवरण निम्नवत है


क्रमांक	नाम	गाथास	क्षेत्रफल वीघा	CH-41, 45 के अनुसार विवरण
1	चौमा फरद	99	3)	रजवाह निकाल मानी NZA के आर्किव शीट 15(1) जलमग्न भूमि के अन्तर्गत दर्ज है
2	चौमा फरद	101	80013	बन्ध लकड़ NZA के आर्किव शीट 15(1) जलमग्न भूमि के अन्तर्गत दर्ज है

03/04/25  
अ. लोहिया

03/04/25

नजदी नमरा

गाटा: वी ११, १०१  
अधीन: मीना कर  
पध्दमि वि. र. म. म.  
जिना आमरा



101

99

नजदी नमरा

101  
07/04/2024

*[Signature]*  
07/04/2024


नजदी नमरा गाटा वी. ११ व १०१  
अधीन (म. र. म.) काम हेतु



जो० च० आकार-पत्र ४१  
(नियम ६३)

मुलनाथक जमरा (झररा मुतावकत)

गाँव: श्रीमदुवा परतना: श्रीमदुवा तहसील: श्रीमदुवा जिला: उप्रगारा



क्र. संख्या	प्लॉट नं०	पुरानी संख्या	प्लॉट नं०	नई प्लॉट संख्या	विशेष वर्गीकरण की भूमि-श्रेणी (Soil class)	विशेष विवरण
१०१	४००१३	३४८	४००१३	२	-	बगैर स्क्रिप
१०२	७४	३४८	७४	१०	बि.जा.पी.२	बंजर ७५
१०३	२६११४	३५०	३११३	१	-	जंगलभूमि
		३५४	११३		बि.जा.पी.२	
		३५३	११२		बि.जा.पी.२	
		३५२	१११		बि.जा.पी.२	
		३५१	१११		बि.जा.पी.२	
		३६१	७७१		बि.जा.पी.२	
		३६२	१११२		-	
		३६०	१११		बि.जा.पी.२	
	१०५६३-१०५६४-१०५६५-१०५६६-१०५६७-१०५६८-१०५६९-१०५७०	३६६मि	१११-१०	४३	बि.जा.पी.२	अज्ञात
		७२११६	७२११७		रफ्तार मजारागा १११-१० अज्ञात	रफ्तार मजारागा ७२११७ अज्ञात

हो. १२ के हस्ताक्षर प्रस्तावना- चरमदीयता के हस्ताक्षर मजारागा के हस्ताक्षर मजारागा के हस्ताक्षर मजारागा के हस्ताक्षर  
विशेष नूतना- २ नई खतीनी के तैयार हो जाने पर भरा जायगा

*(Handwritten signature)*

M. K. P.

220

जो० च० आकार-पत्र ४५  
( नियम ६७ )

जोत चणवन्दी अधिनियम की धारा २७ के अन्तर्गत बनाई गई धाराओं

गाँव चौसाफरह पञ्चगाणा ख तालुका किरावसा जिला झागरा

1	2	3	4	5	6	7
सर्वेक्षण क्रमांक	सातोदार का नाम, पिता का नाम तथा निवासीस्थान	सर्वेक्षण क्रमांक	सर्वेक्षण संख्या	काल	सातोदार का नाम, पिता का नाम तथा निवासीस्थान	विशेष विवरण
	अध्या १५।- अकृषक भूमि					
	(१) जलमग्न भूमि					
२	बन्ध स्थाप		२०९	४००३		
३	रजवाह निवास पत्नी योग अध्या १५ (१)		६६	३		
			२	४०३३		
	१५(२) स्थल सड़क रेलवे भवन और ऐसा भूमिया जो अकृषक उपयोग के लिये काम में लाई जाती हो।					
४	सड़क रेल		६	३११३-५		
			१०	३११३		
			२	३११२-५		
५	सड़क पुरस्ता		१३	६११४		

अधीन

१६३१-संगर-२०६-पार्क-२५, ६२-६३

...

...

...

...

प्रतिलिपि खतौनी

नाम मुहाल श्रीनिवास सरदार ग्राम पानाफरु (जहाँ जन्मित लागू नहीं है) तहसील किरावडी जिला आगरा  
रान फराली - से (43) फराली तक।

खाता खतौनी क्रम संख्या	नाम कास्तकार मय पिता/पति का नाम व निवास	मुदत काश्त	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल एकड़	लगान		विवरण
					नकदी	जिन्सी लगान का नकद मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	श्रीनी 15 (1) व-द्य क्लेन	-	101	92.292	-	-	४००/३
3	रजवाह निकाह पानी	-	99	0.6910	-	-	३५

लक्ष्मण काय ईशुजारी  
दि  
03/05/25  
चौकीदार

सुरक्षित पृथी विहार की 6 म आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० में निषिद्ध गतिविधियों एवं अनाविनाशक निर्माण के सम्बंध में ①

महोदय, कायलिय जिलाधिकारी, आगरा के पत्र सं० 1255/डीएलआरसी दि० 21-04-2025, जो मा० राष्ट्रीय हरित आधिकरण, में प्रोजेक्ट ओएस० सं० 529/2023 (श० शरद गुप्ता बनाम यूनिपन आफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दि० 14-02-2025 के अनुपालन के सम्बंध में है, का उत्तर

गृहण करने का कहत करे - उपरोक्त के सम्बंध में दिनांक 26/04/2025 को उप-जिलाधिकारी महोदय पिरावली के नेतृत्व में राजस्व टीम वनविभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में ग्राम-चौमा फरह व रुनकता के अभिलेखों का परीक्षण किया। ग्राम-चौमा फरह की खसरा सं० 99 क्षेत्र 3-0-0 बीघा (0.6910 हे०) राजस्व अभिलेखों में MZA के अन्तर्गत शेरी 15(1) जलमग्न भूमि में "रजवाल विकास पानी" के नाम एवं खसरा सं० 101 क्षेत्र 4-00-8-0 बीघा (92.2920 हे०) राजस्व अभिलेखों में MZA के अन्तर्गत शेरी 15(1) में बन्ध स्केप के नाम अंकित हैं। धान्य की दाय्यपति हेतु न है।

ग्राम रुनकता की खसरा सं० 1 क्षेत्र 2-12-0 बीघा (0.5999) शेरी 15(1) अन्तर्गत MZA में गन्दी नाला के नाम एवं खसरा सं० 4 क्षेत्र 529-7-0 बीघा (121.961 हे०) शेरी 15(1) अन्तर्गत MZA में बन्ध स्केप के नाम तथा खसरा सं० 18 क्षेत्रफल 4-5-0 बीघा (0.9800 हे०) शेरी 15(2) अन्तर्गत MZA में सर्विस रोड के नाम अंकित हैं। धान्य की दाय्यपति हेतु न है।

ग्राम-चौमा फरह की खसरा सं० 101 के वनविभाग के पिलर संख्या 24, 27 व 28 के मध्य की भूजाओं की टीम द्वारा पैमाइश का मुद्दिया गढ़वायी गई तथा वन विभाग द्वारा कब्जा प्राप्त कर उक्त तीनों बिंदुओं के मध्य की सीमा पर बार फेंसिंग कर ली गयी है। तथा खसरा सं० 99 की मुद्दिया लगवाकर सुरक्षित किया गया।

ग्राम रुनकता की खसरा सं० 1, 4 व 18 का संयुक्त टीम

दिलीप कुमार  
जिलाधिकारी  
03-5-2025  
Rohul Kumar  
(सहायक जिलाधिकारी)

03/05/2025

P.T.O.

हाय स्कूल निरीक्षण किया गया। इकाई खसरा नम्बरान की भूमि पूर्व से ही कब्जा मुक्त है तथा मौके पर मुद्रिथा गाढ़ कर सुरक्षित किया गया। वर्तमान में ग्राम कनकता की इकाई गाला संख्याओं पर कोई पक्का निर्माण नहीं है एवं कोई भी प्रतिबन्धित क्रिया कलाप संचालित नहीं है।  
 समूह की आख्या साफ उचित है।

03/05/2025  
 श्रीमान्  
 श्रीरमेश कुमार  
 क्षेत्र - कनकता

03/05/2025  
 श्रीश-पद्म लखपाल  
 क्षेत्र कनकता

03-05-2025  
 (सुवराज सिंह)  
 वज्रद्वारा

जितेंद्र सिंह  
 (जितेंद्र सिंह)  
 (व.जी.र)

दिलीप कुमार  
 (दिलीप कुमार)  
 व.जी.र


Rohit Kumar  
 (राहुल कुमार)  
 व.जी.र

अमित शर्मा  
 (अमित शर्मा)  
 सेनीय वरिष्ठ अधिकारी  
 सर सरोवर पक्षी विहार  
 कीर्ति, आगरा

अनिल कुमार  
 नायब तहसीलदार  
 छिटावकी आगरा



ANNEXURE A-10



6RXM+WC2, Chauma Farah, Uttar Pradesh 283101, India

20786°

Longitude



77.83285851°

51:36 PM

Altitude 169 meters

21:36 AM

Saturday, 26.04.2025



## ANNEXURE A-11

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3319]

नई दिल्ली, बुधस्पतिवार, अक्टूबर 10, 2019/आश्विन 18, 1941

No. 3319]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2019/ASVINA 18, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2019

**का.आ. 3649(अ).**—प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1728(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

**और**, उक्त प्रारूप अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 24 अप्रैल, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

**और**, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

**और**, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में जिला मुख्यालय आगरा से लगभग 20 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। पक्षी अभयारण्य 4.030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

**और**, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य से मुख्य वनस्पति *कैसिया स्यामिया* (कैसिया), *प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा* (विलायती बबूल), *अच्यथीस अस्पेरा* (लतजीरा), *फिकस बेंगालेंसिस* (बरगद), *नेरियम इंडिकम* (कनेर), *फिकस रेलिगिओसा* (पीपल), पार्थेनियम *हायस्टेरोफोरस* (गजार घास), *बोम्बक्स केइबा* (सेमल), *बउहीनिया वेरिगोट* (कचनार), *कैसिया फिस्टुला* (अमलतास), *कैसिया तोरा* (चकवद), *अकैसिया निलोटीका* (बबूल), *यूकेलिप्टस* (युकलिप्टस), *इम्बलिका ओफिसिनैलिस* (एनोन्ला), *लैंटाना कैमारा* (लैंटाना), *रिकिनुस कोम्मुनिस* (अरांडी), आदि अभिलिखित की गई है;

**और**, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में *एंसर एंसर* (ग्रीलेग गूज़), *एंसर इंडिकम* (बारहेड गूज़), *टडोर्ना फेरूगिनिया* (रूडी शेल्डक), *सरकिडीओरनिस मेलानोटोस* (कोम्ब बतख), *डेंड्रोसीग्रा जावानिका* (लैसर व्हिस्टलिंग टील), अनास *अकुटा* (पिटैल), अनास *क्रेक्का* (सामान्य टील), अनास *पेओसिलोरिन्वा* (स्पॉटबल्ड बतख), *फुलिका अटरा* (सामान्य कूट), अनास *स्ट्रेपेरा* (गडवाल्ल), *हीमानटोपुस हीमान्टोपुस* (ब्लैक विंगेड स्टील्ट), अनास *क्लाइपेटा* (शोवेलेर), *नेट्टा रूफिना* (रेडक्रॉस्टेड पोचर्ड), *गरुस अंटीगोने* (सरूस क्रेन), *अमाउरोनिस फोइनिकुरुस* (व्हाइट ब्रेस्टेड वाटरहेन), *पेलेकनुस अनोक्रोटालूस* (ग्रेट व्हाइट पेलिकन), *अरदेया सिनेरिया* (ग्रे बगुला), *श्रीकोनिस एथीहोपिका* (व्हाइट इबिस), *प्लाटेला ल्यूकोरोडिया* (स्पूनबिल) आदि का वास है;

5279 GI/2019

(1)

और, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में दुर्लभ, लुप्तप्राय, स्थानिक, संकटापन्न पौधे प्रजातियां फेरोनिया लिमोनिया (काइथा), एल्बिजिया लेब्रेक (काला सिरस), फोइनिक्स सिल्वेस्ट्रिस (खजूर), मिनिकारा कारा हेक्सेंड्रा (किर्नी), ब्यूटिया मोनोस्पर्मा (ढाक), आर्टोकार्पस लाकोचा (बरहहाल), मधुका इंडिका (महुआ) मोरिगा ओलेइफेरा (सहजान), जिज़िफस मौरिटिआना (झारवेरी), कुस्कुटा रेफलेक्सा (अमर बेल), आदि पाई जाती है; जबकि संरक्षित क्षेत्र में दुर्लभ, लुप्तप्राय, स्थानिक, संकटापन्न जीवजंतु निओफ्रॉन पर्कनोप्टेरस (इजीपियन गिद्ध), वेनेल्लुस ज्यूवाकुली (रिपर लैपर्विंग), स्टर्न अउरंटिया (रिवर-बिल्लीड टर्न), पेलेकैनस क्रिस्पस (डालमाटैन पेलिकन), किकोनिया एपीस्कोपस (वूल्फ-नैक स्टोर्क), कलानगा कलानगा (ग्रेटर स्पोट्टेड ईगल), गरूस एंटीगोन (सॉर्स क्रेन), माईक्टेरिया लेउकोसेफला (पेंडेटेड स्टोर्क), एफिफोरहाइन्चस एशियाटिकस (ब्लैक-नेक स्टोर्क), थेरस्किओरनिस मेलानोकेफलुस (ब्लैक-हेडेड इबिस), अयथया नयरोका (फ्रूगिनोस डक), इसाकुस इकुरविरोस्टरीस (ग्रेट थिक-किन), लिमोसा लिमोसा (ब्लैक-टेल्ड गोडविट), टडोर्ना तडोर्ना (सामान्य शेल्डक), फोएनिकोप्टेरस रोसेकस (ग्रेटर प्लेमिंगो), आदि पाए जाते हैं;

और, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

**अतः**, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य आगरा जिला में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्यकी सीमा से एक किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**-(1) उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य (उ  $27^{\circ}14' 4''$  अक्षांश और  $27^{\circ}31' 52''$  उ अक्षांश और  $77^{\circ}49' 38''$  पूर्वी अक्षांश  $77^{\circ}52' 40''$  पूर्वी अक्षांश) की सीमा के चारों ओर समरूप एक किलोमीटर में स्थित है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 10.20 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक** और **उपाबंध-IIख** के रूप में उपाबद्ध है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।
- (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना**-(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप भी और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से की जाएगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;

- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी के पैरा-4 में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और
- (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

- (4) **नैसर्गिक विरासत.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।
- (6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और निवारण के लिए पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।
- (8) **बहिष्काव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि.343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई-अपशिष्ट.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **यानीय यातायात.**- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणिया
(1)	(2)	(3)
<b>क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी:

		परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उप-विधियों के अनुसार, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे: परन्तु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।

11.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह का निस्तारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
12.	वायु और वाहन प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	फर्मों, निगमों और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
15.	पोलिथीन थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन या सरकारी या राजस्व अथवा निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
19.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
21.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
22.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
25.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

26.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
28.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
<b>ग.संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर, आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना है।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	निम्नीकृत भूमि वन आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का संघटक	पद
(i)	जिला मजिस्ट्रेट, आगरा	अध्यक्ष, पदेन
(ii)	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा	सदस्य
(iii)	राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र (विरासत संरक्षण सहित) में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य
(v)	जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य

(vi)	कार्यकारी अभियंता, लोक कार्य विभाग, आगरा	सदस्य
(vii)	सिंचाई विभाग, आगरा के कार्यकारी अभियंता	सदस्य
(viii)	जिला कृषि अधिकारी, आगरा	सदस्य
(ix)	वन्यजीव वार्डन, इटावा	सदस्य
(x)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला आगरा	सदस्य
(xi)	उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य परियोजना, आगरा	सदस्य सचिव।

**6. निर्देश-निबंधन:-** (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात् में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उप आयुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

**7.** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

**8.** इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले कोई आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/13/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'


## उपाबंध- I

उत्तर प्रदेश राज्य में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

- उत्तर - सीनगना ग्राम और नगला रेती की आंशिक खेती भूमि, नगला अकोस खादर  
 दक्षिण - अरेसेना ग्राम और कीथम ग्राम की आंशिक खेती भूमि, नगला मुरली और मूरेंदा  
 पूर्व - रूनकाटा ग्राम, सूरदास वन खंड का रिज़र्व वन  
 पश्चिम - नगला भूपला ग्राम, चौमा फराह एवं सीनगना खास ग्राम की आंशिक खेती भूमि और बूरज

## उपाबंध- IIक


उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य का गूगल मानचित्र



62

उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



## उपाबंध-III

सारणी क: सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	27° 14' 47.2" उ	77° 51' 14.1" पू	12	27° 15' 12.62" उ	77° 49' 49.92" पू
2	27° 15' 08.6" उ	77° 51' 12.3" पू	13	27° 15' 1.41" उ	77° 50' 1.14" पू
3	27° 15' 14.2" उ	77° 51' 01.7" पू	14	27° 14' 58.09" उ	77° 50' 1.31" पू
4	27° 15' 18.6" उ	77° 51' 00.6" पू	15	27° 14' 53.78" उ	77° 49' 58.98" पू
5	27° 15' 18.20" उ	77° 50' 50.6" पू	16	27° 14' 48.56" उ	77° 49' 54.01" पू
6	27° 15' 20.0" उ	77° 50' 41.2" पू	17	27° 14' 34.94" उ	77° 49' 49.30" पू
7	27° 15' 22.88" उ	77° 50' 27.76" पू	18	27° 14' 45.99" उ	77° 50' 18.09" पू
8	27° 15' 48.41" उ	77° 50' 28.44" पू	19	27° 14' 39.89" उ	77° 50' 28.44" पू
9	27° 15' 56.51" उ	77° 50' 2.29" पू	20	27° 14' 31.57" उ	77° 50' 23.64" पू
10	27° 15' 38.95" उ	77° 49' 37.99" पू	21	27° 14' 28.40" उ	77° 50' 39.54" पू
11	27° 15' 20.07" उ	77° 49' 42.15" पू	22	27° 14' 32.89" उ	77° 51' 3.24" पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश देशांतर

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
क	27° 14' 17.44" उ	77° 51' 37.19" पू
ख	27° 15' 7.66" उ	77° 51' 50.42" पू
ग	27° 15' 40.11" उ	77° 51' 25.95" पू
घ	27° 15' 41.18" उ	77° 50' 58.84" पू
ङ	27° 16' 7.42" उ	77° 50' 58.48" पू
च	27° 16' 26.63" उ	77° 50' 18.71" पू
छ	27° 16' 8.04" उ	77° 49' 22.27" पू
ज	27° 15' 17.73" उ	77° 49' 8.48" पू
झ	27° 14' 47.42" उ	77° 49' 16.22" पू
ञ	27° 14' 1.11" उ	77° 49' 48.59" पू
ट	27° 13' 58.64" उ	77° 50' 23.72" पू

## उपाबंध IV

उत्तर प्रदेश राज्य में भू-निर्देशांकों के साथ सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	रूनाकता	27°14' 09.00 उ	77° 52' 25.40" पू
2.	नागला मुरली	27°13' 49.40 उ	77° 51' 03.30" पू
3.	अरसाइना	27°14' 11.20 उ	77° 50' 14.50" पू
4.	चाउमा फराह	27°14' 57.10 उ	77° 49' 54.50" पू
5.	नागला भूपिया	27°15' 11.10 उ	77° 49' 42.00" पू
6.	सींगा खास	27°15' 59.90 उ	77° 49' 27.50" पू
7.	नगला रेती	27°16' 07.30 उ	77°49' 44.60" पू
8.	सींगा बुर्ग	27°16' 12.60 उ	77° 49' 28.30" पू
9.	गरीं नाहचाला	27°15' 25.70 उ	77° 52' 19.60" पू

## उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें)।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th October, 2019

**S.O. 3649(E).**—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1728(E), dated the 24<sup>th</sup> April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**AND WHEREAS**, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 24<sup>th</sup> April, 2018;

**AND WHEREAS**, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

**AND WHEREAS**, the Soor Sarovar Bird Sanctuary is situated about 20 kilometers from the district headquarter Agra and about 180 kilometers from Delhi in the State of Uttar Pradesh. The Bird Sanctuary is spread over an area of 4.030 square kilometers;

**AND WHEREAS**, major flora recorded from the Soor Sarovar Bird Sanctuary are *Cassia siamea* (kesia), *Prosopis juliflora* (vilayti babool), *Achyranthes aspera* (latjeera), *Ficus bengalensis* (bargad), *Nerium indicum* (kaner), *Ficus religiosa* (peepal), *Parthenium hysterophorus* (gazar ghas), *Bombax ceiba* (semal), *Bauhinia variegata* (kachnar), *Cassia fistula* (amaltas), *Cassia tora* (chakvad), *Acacia nilotica* (babool), *Eucalyptus* (eucalyptus), *Emblica officinalis* (aonla), *Lantana camara* (lantana), *Ricinus communis* (arandi), etc;

**AND WHEREAS**, the Soor Sarovar Bird Sanctuary is habitat of *Anser anser* (greylag goose), *Anser indicus* (barheaded goose), *Tadorna ferruginea* (ruddy shelduck), *Sarkidiornis melanotos* (comb duck), *Dendrocygna javanica* (lesser whistling teal), *Anas acuta* (pintail), *Anas Crecca* (common teal), *Anas peocilorhyncha* (spotbilled duck), *Fulica atra* (common coot), *Anas strepera* (gadwall), *Himantopus himantopus* (black winged stilt), *Anas clypeata* (shoveler), *Netta rufina* (redcrested pochard), *Grus antigone* (sarus crane), *Amurornis Phoenicurus* (white breasted waterhen), *Pelecanus onocrotalus* (great white pelican), *Ardea cinerea* (grey heron), *Threkiornis aethiopica* (white ibis), *Platalea leucorodia* (spoonbill), etc;

**AND WHEREAS**, the rare, endangered, endemic, threatened plant species found in the Soor Sarovar Bird Sanctuary *Feronia limonia* (kaitha), *Albizia lebbek* (kala siras), *Phoenix sylvestris* (khajoor), *Minikara kara hexandra* (khirni), *Butea monosperma* (dhak), *Artocarpus lakoocha* (barhhal), *Madhuca indica* (mahua), *Moriga oleifera* (sahjan), *Zizyphus mauritiana* (jharveri), *Cuscuta reflexa* (amar bel), etc; While the rare, endangered, endemic, threatened fauna found in the protected area *Neophron percnopterus* (egyptian vulture), *Vanellus duvaucelii* (riper lapwing), *Sterna aurantia* (river-billied tern), *Pelecanus crispus* (dalmatian pelican), *Ciconia episcopus* (woolly-neck stork), *Clanga clanga* (greater spotted eagle), *Grus antigone* (sarus crane), *Mycteria leucocephala* (painted stork), *Ephippiorhynchus asiaticus* (black-necked stork), *Threskiornis melanocephalus* (black-headed ibis), *Aythya nyroca* (ferruginous duck), *Esacus recurvirostris* (great thick-knee), *Limosa limosa* (black-tailed godwit), *Tadorna tadorna* (common shelduck), *Phoenicopterus roseus* (greater flamingo), etc;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Soor Sarovar Bird Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of one kilometres uniform around the boundary of Soor Sarovar Bird Sanctuary, in Agra district in the State of Uttar Pradesh as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of one kilometre uniform around the boundary of Soor Sarovar Bird Sanctuary (N 27°14' 4" and N 27°31' 52" and E 77°49' 38" and E 77°52' 40") situated in the Agra District of Uttar Pradesh and the area of the Eco-sensitive Zone is 10.20 square kilometres.
  - (2) The boundary description of Soor Sarovar Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
  - (3) The maps of the Soor Sarovar Bird Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB**.
  - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Soor Sarovar Bird Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III**.
  - (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**— (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
  - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
  - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
    - (i) Environment;
    - (ii) Forest and Wildlife;
    - (iii) Agriculture;
    - (iv) Revenue;
    - (v) Urban Development;
    - (vi) Tourism;
    - (vii) Rural Development;
    - (viii) Irrigation and Flood Control;
    - (ix) Municipal;
    - (x) Panchayati Raj; and
    - (xi) Public Works Department.
  - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
  - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
  - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
  - (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities livelihood.
  - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
3. **Measures to be taken by the State Government.**- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.**- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:
- Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-
- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
  - (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
  - (iii) small scale industries not causing pollution;
  - (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
  - (v) promoted activities given under paragraph 4:
- Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
  - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
  - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
  - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer;
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel/resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357(E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.

- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic Waste Management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition Waste Management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**- The E- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.  
(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-  
(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;  
(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
- (18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measure, if it consider necessary, in giving effect to the provisions of this notification.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect, except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair

70

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
<b>B. Regulated Activities</b>		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
12.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
15.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
19.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and

72

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
28.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
<b>C. Promoted Activities</b>		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbs.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification.** - For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Magistrate, Agra	Chairman, ex officio
(ii)	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police, Agra	Member
(iii)	One representative of a Non Governmental Organization (NGO) working in the field of environment (including heritage conservation )to be nominated by the State Government	Member
(iv)	One expert in Ecology	Member
(v)	One expert in Biodiversity	Member

(vi)	Executive Engineer Public Work Department, Agra	Member
(vii)	Executive Engineer of Irrigation Department, Agra	Member
(viii)	District Agriculture Officer, Agra	Member
(ix)	Wildlife Warden, Etawah	Member
(x)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, District Agra	Member
(xi)	Deputy Conservator of Forests, National Chambal Sanctuary Project, Agra	Member-Secretary.

**6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/13/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'


**ANNEXURE- I**

**BOUNDARY DESCRIPTION OF SOOR SAROVAR BIRD SANCTUARY AND ITS ECOSENSITIVE ZONE IN THE STATE OF UTTAR PRADESH**

- North** - Village Seengna and Partial cultivated lands of Nagla Reti, Nagla Akos Khadar
- South** - Village Aresena and Partial cultivated lands of Village Keetham, Nagla Murli and Murenda
- East** - Village Runkata, Reserve Forest of Soordas Forest Block
- West** - Village Nagla Bhupla, Chauma Farah & Partial cultivated lands of Village Seengna Khaas and Burj


**ANNEXURE- IIA**

**GOOGLE MAP OF SOOR SAROVAR BIRD SANCTUARY IN AGRA DISTRICT OF UTTAR PRADESH**



ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SOOR SAROVAR BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



## ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SOOR SAROVAR BIRD SANCTUARY

Sl. No.	Latitude	Longitude	Sl. No.	Latitude	Longitude
1	27° 14' 47.2'' N	77° 51' 14.1'' E	12	27° 15' 12.62'' N	77° 49' 49.92'' E
2	27° 15' 08.6'' N	77° 51' 12.3'' E	13	27° 15' 1.41'' N	77° 50' 1.14'' E
3	27° 15' 14.2'' N	77° 51' 01.7'' E	14	27° 14' 58.09'' N	77° 50' 1.31'' E
4	27° 15' 18.6'' N	77° 51' 00.6'' E	15	27° 14' 53.78'' N	77° 49' 58.98'' E
5	27° 15' 18.20'' N	77° 50' 50.6'' E	16	27° 14' 48.56'' N	77° 49' 54.01'' E
6	27° 15' 20.0'' N	77° 50' 41.2'' E	17	27° 14' 34.94'' N	77° 49' 49.30'' E
7	27° 15' 22.88'' N	77° 50' 27.76'' E	18	27° 14' 45.99'' N	77° 50' 18.09'' E
8	27° 15' 48.41'' N	77° 50' 28.44'' E	19	27° 14' 39.89'' N	77° 50' 28.44'' E
9	27° 15' 56.51'' N	77° 50' 2.29'' E	20	27° 14' 31.57'' N	77° 50' 23.64'' E
10	27° 15' 38.95'' N	77° 49' 37.99'' E	21	27° 14' 28.40'' N	77° 50' 39.54'' E
11	27° 15' 20.07'' N	77° 49' 42.15'' E	22	27° 14' 32.89'' N	77° 51' 3.24'' E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Latitude	Longitude
A	27° 14' 17.44'' N	77° 51' 37.19'' E
B	27° 15' 7.66'' N	77° 51' 50.42'' E
C	27° 15' 40.11'' N	77° 51' 25.95'' E
D	27° 15' 41.18'' N	77° 50' 58.84'' E
E	27° 16' 7.42'' N	77° 50' 58.48'' E
F	27° 16' 26.63'' N	77° 50' 18.71'' E
G	27° 16' 8.04'' N	77° 49' 22.27'' E
H	27° 15' 17.73'' N	77° 49' 8.48'' E
I	27° 14' 47.42'' N	77° 49' 16.22'' E
J	27° 14' 1.11'' N	77° 49' 48.59'' E
K	27° 13' 58.64'' N	77° 50' 23.72'' E

## ANNEXURE-IV

## LIST OF REVENUE VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SOOR SAROVAR BIRD SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES IN THE STATE UTTAR PRADESH

S. No.	Village Name	Latitude	Longitude
1.	Runakta	27°14' 09.00 N	77° 52' 25.40" E
2.	Nagla Murli	27°13' 49.40 N	77° 51' 03.30" E
3.	Arsaina	27°14' 11.20 N	77° 50' 14.50" E
4.	Chauma Frah	27°14' 57.10 N	77° 49' 54.50" E
5.	Nagla Bhupia	27°15' 11.10 N	77° 49' 42.00" E
6.	Seenga Khas	27°15' 59.90 N	77° 49' 27.50" E
7.	Nagla Reti	27°16' 07.30 N	77°49' 44.60" E
8.	Seenga Burg	27°16' 12.60 N	77° 49' 28.30" E
9.	Gri Nahchala	27°15' 25.70 N	77° 52' 19.60" E

## ANNEXURE -V

## Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

79

## ANNEXURE A-12

टीपें और आज्ञाएं

कार्यालय :  
उप वन संरक्षक,  
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्युरी  
प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा।

जिलाधिकारी, आगरा

महोदय,

अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ०ए०सं० 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 14-02-2025 (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या 07 का अंश निम्नवत् है:-

"7. Learned counsel appearing for the State also submits that he will place on record the details of the prohibited activities and unauthorized construction on the above piece of land and the action taken to remove them. Counsel for the State is also directed to file further affidavit disclosing the status of eco-sensitive zone in respect of the entire area, including the expanded area."

इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 403.09 हे० के ESZ की अधिसूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 3649(अ) दिनांक 10-10-2019 द्वारा की गयी है। उक्त अधिसूचना के बिन्दु संख्या 05 में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन निम्नवत् है:-

क्र०सं०	निगरानी समिति का संघटक	पद
(i)	जिला मजिस्ट्रेट, आगरा	अध्यक्ष, पदेन
(ii)	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा	सदस्य
(iii)	राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र (विरासत संरक्षण सहित) में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य
(v)	जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य
(vi)	कार्यकारी अभियंता, लोक कार्य विभाग, आगरा	सदस्य
(vii)	सिंचाई विभाग, आगरा के कार्यकारी अभियंता	सदस्य
(viii)	जिला कृषि अधिकारी, आगरा	सदस्य
(ix)	वन्यजीव वार्डन, इटावा	सदस्य
(x)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला आगरा	सदस्य
(xi)	उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य परियोजना, आगरा	सदस्य सचिव

क्र०सं० (iii) पर अंकित राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र (विरासत संरक्षण सहित) में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) का एक प्रतिनिधि, के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 965/23-1(ई०सं०जो०) दिनांक 10-12-2024 द्वारा उच्च स्तर को शासन से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिसूचना के बिन्दु संख्या 6(1) में वर्णित है कि निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0 सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 14-02-2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 798.1505 हे0 ईको सेन्सिटिव जोन की स्थिति के सम्बन्ध में आपकी अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार कक्ष में दिनांक 04-04-2025 को अपरान्ह 12.30 बजे निगरानी समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक आहूत की गयी है।

उक्त के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 798.1505 हे0 के ईको सेन्सिटिव जोन की स्थिति के सम्बन्ध में सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन(सी) नं0- 13381/1984 में दाखिल आई0ए0 नं0 196157, 196158 एवं 196159 में पारित आदेश दिनांक 23-09-2022 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन द्वारा सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा की राजकीय भूमि 14.5025 हे0 क्षेत्र की धारा-26ए की अधिसूचना निर्गत किये जाने के उपरान्त सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना की जायेगी। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, आगरा द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 798.1505 हे0 ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

उक्त बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर पत्रावली के दायिनी तरफ संलग्न है। कृपया अनुमोदन प्रदान करते हुए सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

दिनांक- 09-04-2025

(चौदनी सिंह)

उप वन संरक्षक  
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्युरी प्रोजेक्ट,  
उ0प्र0 आगरा।

17/04/25  
जिलाधिकारी,  
आगरा

00


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 14-02-2025 के बिन्दु संख्या 07 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिनांक 04-04-2025 को जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की हुई बैठक का कार्यवृत्त

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 14-02-2025 के बिन्दु संख्या 07 के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 04-04-2025 को अपरान्हः 12.30 बजे कलैक्ट्रेट सभागार कक्ष में ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागों के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया—

- 1— श्रीमती चांदनी सिंह, उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा।
- 2— श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा।
- 3— श्री पंकज अग्रवाल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, आगरा।
- 4— श्री कृष्णा चन्द्रशेखर, वन्यजीव प्रतिपालक, इटावा।
- 5— डा0 विश्वनाथ शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा।
- 6— श्री सन्त प्रकाश, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, दयालबाग एजुकेशन इन्स्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, दयालबाग, आगरा
- 7— श्री पवन पारीख, प्रोजेक्ट मैनेजर/बायोलॉजिस्ट, टी0एस0ए0, गढ़ायता, इटावा।

1— बैठक में सर्वप्रथम मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 14-02-2025 के बिन्दु संख्या 07 के अनुपालन के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 798.1505 के ईको सेन्सिटिव जोन की स्थिति के सम्बन्ध में सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति के सदस्यों के साथ के विचार-विमर्श किया गया।

उक्त के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 798.1505 के ईको सेन्सिटिव जोन की स्थिति के सम्बन्ध में सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन(सी) नं0—13381/1984 में दाखिल आई0ए0 नं0 196157, 196158 एवं 196159 में पारित आदेश दिनांक 23-09-2022 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन द्वारा सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा की राजकीय भूमि 14.5025 हे0 क्षेत्र की धारा-26ए की अधिसूचना निर्गत किये जाने के उपरान्त सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना की जायेगी। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, आगरा द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 798.1505 हे0 ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।



(चाँदनी सिंह)

उप वन संरक्षक

राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट,  
उ0प्र0, आगरा।

81

## ANNEXURE A-13

31

SC

e A-2

1

ITEM NO.2

COURT NO.3

SECTION PIL-W

SUPREME COURT OF INDIA  
RECORD OF PROCEEDINGS

Writ Petition(s)(Civil) No(s). 13381/1984

M.C. MEHTA

Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA &amp; ORS.

Respondent(s)

(IN RE: TAJ TRAPEZIUM ZONE(1) IA NOS. 91272/2022 IN IA NO. 487/2009 (APPLN. FOR DIRECTIONS ON BEHALF OF TAJ WESTERN GATE MARKET ASSN.) "ONLY" IN W.P. (C) NO. 13381/1984 ARE LISTED. "ONLY" NAMES OF THE FOLLOWING ADVOCATES MAY BE TREATED TO HAVE BEEN SHOWN IN THE LIST. PETITIONER-IN-PERSON MR. A.D.N. RAO, SR. ADVOCATE (A.C.) MR. VIJAY PANJWANI, SR. ADVOCATE MR. AMRISH KUMAR, MR. M.K. MARORIA, MR. G.S. MAKKER, MR. KAMLENDRA MISHRA, MR. M.C. DHINGRA, ADVOCATES)

THE FOLLOWING REMARKS TREATED TO HAVE BEEN SHOWN AGAINST ITEM NO. 2 I.E. W.P. (C) No. 13381/1984 "----  
IN RE: TAJ TRAPEZIUM ZONE---- (1) 51269/2017 (APPLN. FOR PERMISSION REGARDING FELLING OF TREES ON B/O PUBLIC WORKS DEPTT., STATE OF U.P.)

(2) REPORT NO. 15/2021 SUBMITTED BY CENTRAL EMPOWERED COMMITTEE I.A. NO. 1448/2021

REPORT NO. 16/2022

(3) I.A. NO. 132820/2020 (APPL. FOR PERMISSION REGARDING FELLING OF TREES ON BEHALF OF NORTH CENTRAL RAILWAY)

REPORT NO. 17/2021

(4) IA NOS. 196157, 196158 AND 196159/2019 (APPLNS. FOR INTERVENTION, DIRECTIONS AND EXEMPTION FROM FILING O.T. ON B/O DR. SHARAD GUPTA)

REPORT NO. 19/2022

(5) IA NOS. 44266 AND 44268/2022 (APPLICATIONS FOR PERMISSION FOR FELLING OF TREES AND EXEMPTION FROM FILING, O.T. ON BEHALF OF YOGIRAJ SARKAR GODARIWALE TRUST) "ONLY" NAMES OF THE FOLLOWING ADVOCATES MAY BE TREATED TO HAVE BEEN SHOWN IN THE LIST. MR. L.R. SINGH, MR. GAURAV GOEL MR. GUNTUR PRAMOD KR, ADVOCATES "

I.A. NOS, 81951/2022 -FOR PERMISSION TO CUT AND REMOVE THE TREES

NO. 85203/2022- APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS

Date : 23-09-2022 This matter was called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE SANJAY KISHAN KAUL  
HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY S. OKA

(82)

REPORT NO. 19/2022 (IA NOS. 44266/2022 & 44268/2022)  
REPORT NO. 17/2021 (IA NOS. 196157-196159/2019)

Since the reports of CEC are accepted without any objection, I.A. Nos. 51269/2017, 132820/2020, 44266/2022 and IA NOS. 196157-196159/2019 stand disposed of. I.A. NOS. 81951/2022 -FOR PERMISSION TO CUT AND REMOVE THE TREES

-----

IA NO. 91272/2022

Learned counsel for the applicant(s) seeks to raise issues arising in IA No. 487/2009 and IA No. 91272/2022.

Learned Amicus Curiae submits that insofar as prayer 'A' in the latter application is concerned, there can be no quibble with the proposition that the direction may be issued as prayed for, but insofar as the prayer 'B' is concerned, that is the matter of fixation of licence fee which does not form the subject matter of proceedings before this Court.

We thus dispose of I.A. No. 91272/2022 with a direction in terms of prayer 'A' leaving it to the applicant(s) to work out their remedies qua prayer 'B' in appropriate proceedings.

However, insofar as IA No. 487/2009 is concerned, there appears to be absence of some clarity on the part of the respondent(s) which is required to be explained, more so, in view of the